

दिनांक 16.04.2026 को सरसैया स्थित नवीन सभागार में मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड/दर्पण पोर्टल पर दर्शित जिला अनुश्रवण पुस्तिका से माह मार्च, 2026 की प्रगति के आधार पर आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को सरसैया स्थित नवीन सभागार में मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका से सम्बन्धित विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/सेवाओं की माह मार्च, 2026 की प्रगति सूचना के आधार पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद को विकास कार्यों में माह अप्रैल, 2025 में सबसे बेहतर रैंक-10वीं पायी गयी एवं माह नवम्बर, 2025 में सबसे खराब रैंक-59वीं पायी गयी। विकास कार्यों में जनपद की कम्पोजिट रैंक मार्च, 2026 में 45वीं पायी गयी। प्रगति सूचना में पाया गया कि मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड/जिला अनुश्रवण पत्रिका पर दर्शित 85 कार्यक्रमों में - 'डी' श्रेणी वाले 03 प्रपत्र, 'सी' श्रेणी वाले 02 प्रपत्र, 'बी' श्रेणी के 05 प्रपत्र तथा 70 प्रपत्र 'ए- श्रेणी के पाये गये। 05 प्रपत्रों पर कोई रैंकिंग/श्रेणी निर्धारित नहीं की गयी है। समीक्षा में पाया गया कि डी, सी व बी श्रेणी के प्रपत्रों में सर्वाधिक 04 प्रपत्र समाज कल्याण विभाग के हैं। 01 प्रपत्र चिकित्सा विभाग का जननी सुरक्षा योजना का डी श्रेणी में पाया गया। बैठक का विभागवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :-

01- समाज कल्याण विभाग -

सामान्य वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति - योजनान्तर्गत कुल आवेदन 3144 के सापेक्ष 164 आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लम्बित तथा 452 आवेदन पी.एफ.एम.एस. स्तर पर लम्बित/निरस्त पाये गये। इस प्रकार 01 माह में मात्र 05 आवेदन शिक्षण संस्थानों के स्तर से निस्तारित कराये गये हैं। योजना में जनपद की श्रेणी डी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित पाये गये।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति अन्तर्गत गत माह जनपद का प्रदेश में 53वां स्थान था जो इस माह 71वां हो गया है। योजना में जनपद की श्रेणी बी से डी हो गयी है। कुल आवेदन 26466 के सापेक्ष 614 आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लम्बित, 1658 आवेदन पी.एफ.एम.एस. स्तर पर लम्बित/निरस्त तथा 43 आवेदन विश्वविद्यालय/एफिलिटिंग एजेंसी के स्तर पर लम्बित पाये गये। समाज कल्याण से उपस्थित अधीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर से डाटा भेजने की अन्तिम तिथि 16.04.2026 है। मात्र 01 विद्यालय द्वारा अभी तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

वृद्धावस्था पेन्शन योजनान्तर्गत कुल प्राप्त आवेदनों 1,75,796 के सापेक्ष वीडो/एसडीएम स्तर पर लम्बित आवेदनों की संख्या 4574 तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर 2040 आवेदन, जिसमें 1617 आवेदन 15 दिन से अधिक समय के लम्बित पाये गये। योजना में जनपद की रैंक 60 तथा श्रेणी सी प्राप्त हुयी है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना -योजनान्तर्गत लक्ष्य 889 के सापेक्ष 889 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है, किन्तु वित्तीय प्रगति का प्रतिशत 92.69 है। जिस कारण जनपद को प्रदेश में 68वां स्थान तथा बी श्रेणी प्राप्त हुयी है।

निर्देश दिये गये कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने तथा विभागीय योजनाओं में बरती गयी लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी की जाये तथा योजनाओं में खराब प्रदर्शन के लिए यदि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्पष्ट व साक्ष्य सहित उत्तर ससमय प्रेषित नहीं किया जाता है तो उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी जाये।

कार्यवाही - मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी

02- चिकित्सा विभाग -

जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत 18.23 है। योजना में जनपद की रैंक 68वीं तथा श्रेणी डी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विगत 03 बैठकों से लगातार योजना के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी से वार्ता करते हुए जनपद की रैंकिंग की स्थिति ज्ञात करने तथा योजना में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। निर्देश दिये गये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।

कार्यवाही - मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

03- ग्राम्य विकास -

डे0एन0आर0एल0एम0 - योजनान्तर्गत जनपद का प्रदेश में स्थान 36वां स्थान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0एफ0 दिये जाने के लक्ष्य 638 के सापेक्ष माह के अन्त तक 452 समूहों को आर0एफ0 जारी किया गया है। इसी प्रकार सी0आई0एफ0 में लक्ष्य 748 के सापेक्ष माह के अन्त तक 654 समूहों को सी0आई0एफ0 जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्य की पूर्ति पूर्ण न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष के आरम्भ में समूहों का गठन न हो पाने के कारण निर्धारित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी है। अवगत कराया गया कि समूह गठन की जिम्मेदारी मो0 वसीम खान, डीएमएम

की थी, उनके 03 माह अवकाश में रहने के कारण समूहों का गठन नहीं हो सका। निर्देश दिये गये कि 03 वसीम खान, डीएमएम की सविदा समाप्त किये जाने सम्बन्धी नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
कार्यवाही- उपायुक्त, स्वतः रोजगार

04- महिला एवं बाल विकास -

आई0सी0डी0एस0 पोषण अभियान - प्रोजेक्ट में जनपद की रेन्क प्रदेश में 13वें स्थान पर तथा श्रेणी बी पायी गयी। पोर्टल पर पाया गया कि जनपद खीरी की प्रगति 848.49 है, जो सही नहीं हो सकती है। निर्देश दिये गये कि प्रगति पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास पुष्टाहार)

05- ग्रामीण जलापूर्ति -

जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अन्तर्गत वर्तमान माह में बी श्रेणी के साथ प्रदेश में जनपद का स्थान 44वां है। अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने वाली है। सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा कार्य आरम्भ करा दिया गया है। पूर्व बैठक में जल निगम से जुड़े 78 मार्गों का सत्यापन किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा रोप प्रकट करते हुए तत्काल मार्गों का सत्यापन कर दिनांक 17.04.2026 की पूर्वान्ह तक मुख्य विकास अधिकारी को आख्या से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही - समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम/मुख्य विकास अधिकारी

बैठक के अन्त में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागीय कार्यों के लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने के सम्बन्ध में रूप-रेखा तैयार कर लें। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सुनिश्चित करें कि आगामी बैठक में 20 अधिकारियों द्वारा उनके किये गये अभिनव कार्य (बेस्ट प्रैक्टिसेस) की सूचना उपलब्ध करायेंगी। जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष दैनिक समाचार पत्रों में अभिनव कार्य (बेस्ट प्रैक्टिसेस) की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करायें। सम्बन्धित अपर सांख्यिकीय अधिकारी लगातार विकास कार्यों से जुड़े समस्त बिन्दुओं के अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हुए प्रगति की जानकारी प्राप्त कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में पुनः निर्देश दिये गये कि लाभार्थीपरक योजनाओं से सम्बन्धित समस्त अधिकारी स्वयं पोर्टल का अवलोकन करते हुए सभी लम्बित आवेदन निस्तारित करायें। किसी भी पोर्टल पर समय सीमा के उपरान्त का कोई आवेदन लम्बित नहीं रहना चाहिये। समस्त अधिकारी कार्यालय समय पर उपस्थित होकर स्वयं अपनी उपस्थिति हेतु भी हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। जनपद को मिलने वाला प्रत्येक अंक महत्वपूर्ण है अतः समस्त अधिकारी अपने अपने-अपने विभागीय नोडल अधिकारी एवं सी0एम0 कमाण्ड सेंटर के अधिकारी के सम्पर्क में रहते हुये कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी लाते हुये पोर्टल की अद्यतन स्थिति ज्ञात करते रहे। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पोर्टल अपडेट करते हुए पुनः माह के अन्तिम सप्ताह में प्रगति को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें, पोर्टल बन्द होने अथवा सर्वर न चलने आदि-आदि समस्यायें मान्य नहीं होंगी। किसी भी स्थिति में जनपद की प्रगति खराब नहीं आनी चाहिये।


यह भी निर्देश दिये गये कि सभी कार्यालयाध्यक्ष आपस में अन्तर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्यों का सम्पादन करेंगे। समस्या आने के दृष्टि में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाये। जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाये, यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो कारण सहित लिंक अधिकारी ही पूर्व अनुमति प्राप्त कर योजना की जानकारी के साथ बैठक में प्रतिभाग करे। विधायी सम्बन्धी समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को ससमय अवगत कराते हुए उनका शीघ्रता से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करायें, किसी भी स्थिति में आकस्मिकता वाली स्थिति न बनने पाये।

-: अन्य सामान्य निर्देश :-

1. समस्त अधिकारी अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों की K-P-I-को अनिवार्य रूप से समझ लें।
2. योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धि के डाटा की गुणवत्ता एवं प्रसंगता के सम्बन्ध में प्रगति पुस्तिका में अंकित अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर त्रुटिपूर्ण आकड़ों को मासांत तक अनिवार्य रूप से संशोधित करा लें।
3. विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का डाटा किस पोर्टल से लिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी समस्त अधिकारी अनिवार्य रूप से रखें।

4. समस्त अधिकारी आगामी समीक्षा बैठक हेतु प्रगति पुस्तिका की बुकलेट पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल में संरक्षित रखें।
5. समस्त विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित समस्याओं को बैठक व ग्रुप आदि में निरन्तर अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे तत्काल निर्णय लेते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।
6. समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं का अनुपालन कर अनुपालन आख्या तत्काल जिला विकास कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
7. सम्बन्धित विभागों से नई योजनाओं के जुड़ने की जानकारी समय-समय पर प्राप्त करते रहे एवं आवश्यकतानुसार लिंक के माध्यम से पोर्टल पर जाकर उनकी प्रगति का नियमित अनुश्रवण करते रहे।

कार्यवाही – समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।


मुख्य विकास अधिकारी,
कानपुर नगर।


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर
पत्रांक 102 / मा0मु0मं0समी0बै0कार्य / 2026-27

दिनांक:

23 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर नगर को उपरोक्तानुसार परिपालनार्थ।
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, महोदय, कानपुर नगर को सादर अवलोकनार्थ।


(अलोक कुमार सिंह)
जिला विकास अधिकारी
कानपुर नगर।